बैंक ऑफ इंडिया, बल्लभगढ़ शाखा,

तहसील-बल्लभगढ़, जिला : फरीदाबाद

ईमेल: ballabgarh.delhincr@bankofindia.bank.in

[नियम-8(1)] अनुलग्नक एफ

कब्जा सूचना

(अचल संपत्ति के लिए)

जबकि,

अधोहस्ताक्षरी, बैंक ऑफ इंडिया के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 11.05.2026 को एक मांग सूचना जारी की थी, जिसमें उधारकर्ता श्री समीर पुत्र श्री अनिल कुमार को सूचना में उल्लिखित राशि **रूपयें 27,12,510.42 ब्याज (शब्दों में: सत्ताईस लाख बारह हजार पाँच सौ दस रुपये और बयालीस पैसे)** तथा उस पर देय ब्याज अर्थात 1) होम लोन 670275110000672/7.45%, दिनांक 07.04.2026 से प्रभावी, मासिक चक्रवृद्धि के साथ तथा बैंक द्वारा वहन किए गए सभी खर्च, शुल्क और व्यय, उक्त सूचना प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

उधारकर्ता द्वारा उक्त राशि का भुगतान न किए जाने के कारण, उधारकर्ता तथा आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा आज दिनांक 29 जुलाई 2026 को ले लिया है।

उधारकर्ता तथा आम जनता को विशेष रूप से सावधान किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति के संबंध में कोई लेन-देन न करें और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन बैंक ऑफ इंडिया, बल्लभगढ़ के **रू 27,12,510.42, ब्याज (शब्दों में सत्ताईस लाख बारह हजार पाँच सौ दस रुपये और बयालीस पैसे)** तथा उस पर देय ब्याज अर्थात 1) होम लोन 670275110000672/7.45%, दिनांक 07.04.2026 से प्रभावी, मासिक चक्रवृद्धि के साथ तथा बैंक द्वारा वहन किए गए सभी खर्च, शुल्क और व्यय के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों के मोचन हेतु उपलब्ध समय से संबंधित हैं।

अचल संपत्ति का विवरण

उक्त संपत्ति का वह समस्त भाग एवं हिस्सा जिसमें आवासीय संपत्ति, प्लॉट संख्या 794, ईडब्लुएस ब्लॉक, प्रॉपर्टी आईडी संख्या 3PWGWDO3, क्षेत्रफल 59.8 वर्ग गज, ओमैक्स सिटी पलवल नामक आवासीय कॉलोनी में स्थित, ग्राम-पलवल एवं धौलागढ़, सेक्टर-11 एवं 14, तहसील एवं जिला पलवल के राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है, जिसका स्वामित्व एवं कब्जा श्री समीर पुत्र श्री अनिल कुमार के पास विक्रय विलेख संख्या 13410 दिनांक 14.02.2025 के अनुसार है। क्षेत्रफल कृ 59.8 वर्ग गज स्वामित्व प्रकार कृ फ्रीहोल्ड

सीमाएँ:

पूर्व में : **प्लॉट संख्या 793**

पश्चिम में : **प्लॉट संख्या 795**

उत्तर में : **सड़क**

दक्षिण में : **अन्य प्लॉट**

दिनांक : 29.07.2026-, स्थानः बल्लभगढ़ **अधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया**

पंजाब एण्ड सिंध बैंक Punjab & Sind Bank

(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

12/14 वेव सिनेमा के पास, कौशाम्बी जिला गाजियाबाद, यू.पी. – 201010

फोन : 0120-2773377, ई-मेल : k1226@psb.bank.in

विमोचन सूचना

तिथि : 30.07.2026

श्री सुनील कुमार आत्मज श्री राजिंदर कुमार

निवासी C-1/64 SF-3 DLF दिलशाद एक्सटेंशन II साहिबाबाद गाजियाबाद यू.पी. 201005

अन्य पता : फ्लेट नं F2 LIG प्रथम तल प्लॉट नं 437 A शालीमार गार्डन एक्सटेंशन I ग्राम पासोंडा लोनी गाजियाबाद यू.पी.

श्री आशिष बब्बर आत्मज श्री सुनील बब्बर

निवासी C 1/65 SF1 DLF दिलशाद एक्सटेंशन 2 साहिबाबाद गाजियाबाद यू.पी. 201005

महोदय/महोदया,

विषय : वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सरफेसी अधिनियम") की धारा 13(8) के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतु के साथ पठित आपके पास निहित अधिकार के निबंधनों में विमोचन के लिए सूचना, श्री सुनील कुमार का खाता संख्या 12261200000278 शाखा कौशाम्बी में।

जैसा कि आप अवगत हैं कि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने विषयगत ऋण खाते में आपके द्वारा प्रतिभूति के रूप में दी गई प्रतिभूत परिसंपत्ति में प्रतिभूति हित के प्रवर्तन के एक उपाय के रूप में 08-10-2018 को सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत एक मांग सूचना जारी की है।

तत्पश्चात, प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत आगे के उपाय करते हुए, 22-05-2019 को प्रतिभूत परिसंपत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त किया।

चूंकि आप बैंक की अपनी देनदारियों का निर्वहन करने में विफल रहे हैं, इसलिए, अधोहस्ताक्षरी ने प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त ऋणधारक तथा गारंटीकर्ताओं से बैंक को देय ऋण की वसूली के लिए ई-नीलामी के माध्यम से नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसंपत्तियों/संपत्तियों को बेचने का निर्णय लिया है।

आपका ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विमोचन के लिए उपलब्ध समय (अर्थात 30 दिन) के संबंध में प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतु के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है। कृपया ध्यान दें कि धारा 13(8) के अंतर्गत आपका अधिकार सार्वजनिक नीलामी के लिए सूचना के प्रकाशन अथवा जनता से कोटेशन या निविदा आमंत्रित करने या प्रतिभूत परिसंपत्ति के पट्टे, समनुदेशन या बिक्री के माध्यम से अंतरण के लिए निजी संधि की तिथि से समाप्त हो जाएगा।

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना का विवरण निम्न अनुसार है :-

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतु के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

ई नीलामी तिथि तथा समय : 31.08.2026, पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक

निरीक्षण की तिथि : 27.08.2026, पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक

बोली जमा करने की अंतिम तिथि : 29.08.2026, अपराह्न 4 बजे तक

ऋणधारक तथा गारंटीकर्ताओं का नाम :

ऋणधारक : श्री सुनील कुमार आत्मज श्री राजिंदर कुमार

गारंटीकर्ता : श्री आशिष बब्बर आत्मज श्री सुनील बब्बर

मांग सूचना तिथि तथा राशि, खाता विवरण :

08-10-2018 को रुपये 16,41,768.74 (29/07/2018 को शेष) + 30/07/2018 से भावी ब्याज तथा लागत

30.06.2026 को कुल बकाया : रुपये 37,24,638.80/-

संपत्तियों का विवरण	न्यूनतम आरक्षित मूल्य (रु. में)
फ्लैट नं F2 LIG प्रथम तल बिना छत के अधिकार के, प्लॉट नं 437 A शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 1 ग्राम पासोंडा लोनी गाजियाबाद यू.पी. पर निर्मित	रुपये 16,00,000/-

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एंड सिंध बैंक

पंजाब एण्ड सिंध बैंक Punjab & Sind Bank

(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

12/14 वेव सिनेमा के पास, कौशाम्बी जिला गाजियाबाद, यू.पी. – 201010

फोन : 0120-2773377, ई-मेल : k1226@psb.bank.in

परिशिष्ट IV-A

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतु के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

सर्वसाधारण को और विशेष रूप से ऋणधारक(धारकों) तथा गारंटीकर्ता(ओं) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका भौतिक (जो भी लागू हो) कब्जा पंजाब एंड सिंध बैंक, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को श्री सुनील कुमार आत्मज श्री राजिंदर कुमार ख्ऋणधारक(धारकों), तथा श्री आशिष बब्बर आत्मज श्री सुनील बब्बर ख्गारंटीकर्ता(ओं), से पंजाब एंड सिंध बैंक, प्रतिभूत लेनदार को देय रुपये 37,24,638.80/- (30/06/2026 को) तथा 01-07-2026 से + भावी ब्याज तथा लागत की वसूली के लिए 31/08/2026 (बिक्री की तिथि) को "जहाँ है जैसा है", "जो है जैसा है", तथा "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य रुपये 16,00,000/- होगा तथा बयाना राशि जमा रुपये 1,60,000/- होगी।

ज्ञात प्रभारों (यदि कोई हो) के साथ अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण :

फ्लैट नं F2 LIG प्रथम तल बिना छत के अधिकार के, प्लॉट नं 437 A शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 1 ग्राम पासोंडा लोनी गाजियाबाद यू.पी. 201005 पर निर्मित

बिक्री के विस्तृत नियमों तथा शर्तों के लिए, कृपया पंजाब एंड सिंध बैंक, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात www.punjabandsind.bank.in में दिए गए लिंक को देखें।

तिथि : 30/07/2026, स्थान : कौशाम्बी **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एंड सिंध बैंक**

केनरा बैंक Canara Bank

केनरा बैंक, दिल्ली जनपथ ब्रांच, पोस्ट बॉक्स नंबर 495, 74 जनपथ, नई दिल्ली-110001

मोबाइल-8650748434, 9266843886

ई-मेल : rondelrec@canarabank.com, cb0307@canarabank.com

संदर्भ : 0307/SARFAESI/SD/2026-27 **मांग सूचना [धारा 13(2)]** दिनांक : 27.07.2026

उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता

सेवा में,

श्री संजीव धवन, (कर्जदार) ए-18, ब्लॉक ए2, पहली मंज़िल, ओबेरॉय अपार्टमेंट्स, 2 शाम नाथ मार्ग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054

श्रीमती इंदु धवन, (सह-कर्जदार) ए-18, ब्लॉक ए2, पहली मंज़िल, ओबेरॉय अपार्टमेंट्स, 2 शाम नाथ मार्ग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054

श्री अभिमन्यु धवन, (सह-कर्जदार) ए-18, ब्लॉक ए2, पहली मंज़िल, ओबेरॉय अपार्टमेंट्स, 2 शाम नाथ मार्ग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054

प्रिय श्री/महोदया,

विषय: वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत जारी सूचना।

अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके पश्चात 'अधिनियम' सन्दर्भित) के तहत नियुक्त **केनरा बैंक नई दिल्ली जनपथ शाखा, नई दिल्ली** (इसके बाद 'प्रतिभूत लेनदार' के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते आपको यह नोटिस जारी करता हूं :

कि **श्री संजीव धवन पुत्र चंद्रभान धवन, श्रीमती इंदु धवन पत्नी संजीव धवन और श्री अभिमन्यु धवन पुत्र संजीव धवन** (जिसे आगे 'कर्जदार' कहा जाएगा) ने नीचे दी गई अनुसूची ए में उल्लिखित में ऋण सुविधा/सुविधाओं का लाभ उठाया है और प्रतिभूति लेनदार के पक्ष में प्रतिभूत समझौते किए थे। उक्त वित्तीय सहायता लेते समय, आपने स्पष्ट रूप से यह वचन दिया है कि आप ऊपर बताए गए समझौतों की शर्तों और नियमों के अनुसार ऋण की राशि चुकाएंगे।

आपने (अनुसूची बी में उल्लिखित व्यक्ति ने) प्रतिभूत संपत्तियों के विरुद्ध भी समझौते किए हैं, जिनका विवरण नीचे अनुसूची बी में दिया गया है। हालांकि, अप्रैल 2026 से इस वित्तीय सहायता/क्रेडिट सुविधा का संचालन और कामकाज अनियमित हो गया है। प्रतिभूत सम्पत्ति के हिसाब-किताब से पता चलता है कि 27.07.2026 तक प्रतिभूत लेनदार के प्रति कर्जदार की देनदारी **रु. 2,50,09,617.00 (रुपये दो करोड़ पचास लाख नौ हजार छः सौ सत्रह मात्र)** है; इसकी पूरी जानकारी और भविष्य की ब्याज दर नीचे 'अनुसूची सी' में दी गई है।

साथ ही, यह भी बताया जाता है कि कर्जदार/गारंटर तय समय के भीतर प्रतिभूत लेनदार का बकाया चुकाने के लिए ऊपर बताए गए समझौते की शर्तों का पालन करने में नाकाम रहे हैं और बकाया चुकाने में टाल-मटोल करते रहे हैं। ऊपर बताई गई वित्तीय सहायता / क्रेडिट सुविधा का कामकाज रुक जाने और मूल कर्ज / किस्त और उस पर लगने वाले ब्याज को चुकाने में चूक होने के कारण, प्रतिभूत लेनदार को भारतीय रिजर्व बैंक के सम्पत्ति वर्गीकरण से जुड़े निर्देशों/दिशा-निर्देशों के अनुसार 20/07/2026 को इस कर्ज को नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) के तौर पर वर्गीकृत करना पड़ा।

प्रतिभूत लेनदार इस नोटिस के जरिए आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाता है कि कर्जदार ने उल्लिखित बकाया / देनदारियों को चुकाने में चूक की है और उनका भुगतान नहीं किया है। इसलिए, इस अधिनियम की धारा 13(2) के तहत यह नोटिस जारी करके आपसे मांग की जाती है कि आप इस नोटिस के मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर प्रतिभूत लेनदार को कर्जदार की उन देनदारियों का पूरा भुगतान करें जो नीचे 'अनुसूची सी' में बताई गई हैं। इसके अलावा, आपको यह भी बताया जाता है कि आप भविष्य का ब्याज (लागू दर पर, मासिक चक्रवृद्धि) और साथ ही प्रतिभूत लेनदार द्वारा अपना बकाया वसूलने की कार्यवाही से जुड़े सभी खर्च, चार्ज और अन्य संबंधित खर्चों का भुगतान करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

कृपया इस बात पर ध्यान दें कि यदि आप अधिनियम की धारा 13(2) के तहत इस नोटिस के अनुसार, रु. 2,50,09,617.00 (रुपये दो करोड़ पचास लाख नौ हजार छः सौ सत्रह मात्र) की राशि, साथ ही आगे का ब्याज और अन्य संबंधित खर्चों व लागतों का भुगतान प्रतिभूत लेनदार को करने में विफल रहते हैं, तो प्रतिभूत लेनदार धारा 13 की उप-धारा (4)(ए) और (बी) के तहत बताए गए सभी या किसी भी अधिकार का इस्तेमाल करेगा। इस मामले की गंभीरता को बताने के लिए उनका विवरण नीचे दिया गया है:

13(4)-यदि कर्जदार/गारंटर उप-धारा (2) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर देयता का पूर्ण रूप से निर्वहन करने में विफल रहता है, तो प्रतिभूत लेनदार अपने प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिए निम्नलिखित उपायों में से एक या उससे अधिक उपायों का सहारा ले सकता है, अर्थात्;

(क) प्रतिभूत संपत्ति की वसूली के लिए पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के अधिकार सहित कर्जदार/गारंटर की प्रतिभूत संपत्ति का कब्जा लेना;

(ख) प्रतिभूत संपत्ति की वसूली के लिए पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के अधिकार सहित कर्जदार के व्यवसाय का प्रबंधन अपने हाथ में लेना;

बशर्ते कि पट्टे, समनुदेशन या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के अधिकार का प्रयोग केवल वहीं किया जाएगा जहां कर्जदार के व्यवसाय का बड़ा हिस्सा ऋण के लिए प्रतिभूत के रूप में रखा गया हो;

बशर्ते यह भी कि जहां पूरे व्यवसाय या व्यवसाय के हिस्से का प्रबंधन अलग किया जा सकता है, प्रतिभूत लेनदार कर्जदार के ऐसे व्यवसाय का प्रबंधन अपने हाथ में ले लेगा जो ऋण के लिए प्रतिभूति; तथा कथित अधिनियम के अन्य प्रयोज्य प्रावधानों के तहत से संबंधित है;

प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है।

आपको यह भी नोटिस दिया जाता है कि धारा 13(13) के अनुसार कर्जदार/गारंटर प्रतिभूत लेनदार की लिखित सहमति प्राप्त किए बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा अनुसूची बी में वर्णित उक्त प्रतिभूत संपत्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा। यह आगे आपके ध्यान में लाया जाता है कि इस वैधानिक निषेधाज्ञा/बाध्यता का कोई भी उल्लंघन, जैसा कि उक्त अधिनियम के तहत प्रदान किया गया है, एक अपराध है और यदि किसी कारण से, प्रतिभूत परिसंपत्तियां सामान्य व्यवसाय के दौरान बेची या पट्टे पर दी जाती हैं, तो बिक्री से प्राप्त आय या प्राप्त आय प्रतिभूत लेनदार के पास जमा की जाएगी। इस संबंध में आपको ऐसी प्राप्ति/आय का उचित लेखा-जोखा प्रस्तुत करना होगा।

मांग का यह नोटिस पूर्वाग्रह के बिना है और किसी भी अन्य अधिकारों या उपायों की छूट के रूप में नहीं माना जाएगा, जो प्रतिभूत लेनदार के पास आपके द्वारा देय और बकाया राशि के लिए आगे की मांग सहित हो सकता है।

यह अधिनियम और/या लागू किसी अन्य कानून के तहत प्रतिभूत लेनदार के लिए उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव से रहित है।

कृपया इस नोटिस के तहत मांग का अनुपालन करें और सभी अप्रिय घटनाओं से बचें। गैर-अनुपालन के मामले में, आपको सभी लागतों और परिणामों के लिए उत्तरदायी ठहराते हुए, आगे आवश्यक कार्रवाई का सहारा लिया जाएगा।

अनुसूची-ए

[कर्जदार द्वारा ग्रहण की गयी साख सुविधाओं का विवरण]

क्र.सं.	ऋण संख्या	ऋण/सीमा की प्रकृति	स्वीकृति की तिथि	राशि
1.	160002744326	गृह ऋण	03.10.2024	1,41,98,000.00
2.	164061376143	कैन बंधक	11.03.2025	62,50,000.00
3.	164039566760	गृह ऋण प्लस	03.10.2024	50,00,000.00

अनुसूची-बी

(प्रतिभूत आस्तियों का विवरण)

क्र.सं.	अचल सम्पत्ति	स्वामित्व धारक का नाम
1.	ब्लॉक ए-2 में पहली मंज़िल पर स्थित फ्रीहोल्ड रिहायशी दो-बेडरूम वाला घर (सम्पत्ति नंबर 18), साथ ही ब्लॉक ए-2 में रिजर्व्ड पार्किंग लॉट नंबर 8; इसका कुल एरिया 105.79 वर्ग मीटर है। यह सम्पत्ति 'ओबेरॉय अपार्टमेंट्स' कॉम्प्लेक्स में स्थित है, जिसका पता 2 शाम नाथ मार्ग, सिविल लाइन्स, नॉर्थ दिल्ली, दिल्ली 110054 है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं:- उत्तर-पूर्वः फ़्लैट नंबर ए-19, दक्षिण-पूर्वः खुला स्थान, उत्तर-पश्चिमः फ़्लैट नंबर ए-17, दक्षिण-पश्चिमः खुला स्थान सरसाई विवरण: एसेट आईडीः 200086846781 प्रतिभूति हित आईडः 400084941156	श्री संजीव धवन पुत्र चंद्रभान धवन, श्रीमती इंदु धवन पत्नी संजीव धवन

अनुसूची सी

[तिथि तक देयताओं का विवरण]

क्र. सं.	ऋण संख्या	ऋण/सीमा की प्रकृति	मूल देयता (रु.)	ब्याज (रु.)	दण्डात्मक/ अन्य सेवा प्रभार	ब्याज की दर
1	170011686385	गृह ऋण	1,35,95,710.00	3,28,297.00	3,455.00	9.15% वार्षिक (दण्डात्मक ब्याज 2% सहित)
2	164061376143	कैन बंधक	60,37,734.00	1,40,250.00	602.00	11.15% वार्षिक (दण्डात्मक ब्याज 2% सहित)
3	164039566760	गृह ऋण प्लस	47,64,911.00	1,37,853.00	805.00	10.55% वार्षिक (दण्डात्मक ब्याज 2% सहित)
		कुल	2,43,98,355.00	6,06,400.00	4,862.00	

अधिकृत प्राधिकारी, केनरा बैंक

केनरा बैंक Canara Bank

केनरा बैंक, दिल्ली जनपथ ब्रांच, पोस्ट बॉक्स नंबर 495, 74 जनपथ, नई दिल्ली-110001

मोबाइल-8650748434, 9266843886

ई-मेल : rondelrec@canarabank.com, cb0307@canarabank.com

मांग सूचना [धारा 13(2)]

उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता

संदर्भ : 0307/SARFAESI/GPI/2026-27 **दिनांक : 27.07.2026**

सेवा में,

मैसर्स गुडविल प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, ए 103 सेक्टर ए 4, टी.डी.एस. सिटी (ट्रोनिका सिटी), मैडम चौक के पास, लोनी, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश 201102

श्री संजीव धवन, (कर्जदार) ए-18, ब्लॉक ए2, पहली मंज़िल, ओबेरॉय अपार्टमेंट्स, 2 शाम नाथ मार्ग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054

श्री अभिमन्यु धवन, (सह-कर्जदार) ए-18, ब्लॉक ए2, पहली मंज़िल, ओबेरॉय अपार्टमेंट्स, 2 शाम नाथ मार्ग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054

श्रीमती इंदु धवन, (सह-कर्जदार) ए-18, ब्लॉक ए2, पहली मंज़िल, ओबेरॉय अपार्टमेंट्स, 2 शाम नाथ मार्ग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054

प्रिय श्री/महोदया,

विषय: वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत जारी सूचना।

अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके पश्चात 'अधिनियम' सन्दर्भित) के तहत नियुक्त **केनरा बैंक नई दिल्ली जनपथ शाखा, नई दिल्ली** (इसके बाद 'प्रतिभूत लेनदार' के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते आपको यह नोटिस जारी करता हूं :

कि **मैसर्स गुडविल प्लास्टिक इंडस्ट्रीज तथा श्री संजीव धवन पुत्र चंद्रभान धवन-प्रोपराइटर मैसर्स गुडविल प्लास्टिक इंडस्ट्रीज** (जिसे आगे 'कर्जदार' कहा जाएगा) ने नीचे दी गई अनुसूची ए में उल्लिखित में ऋण सुविधा/सुविधाओं का लाभ उठाया है और प्रतिभूति लेनदार के पक्ष में प्रतिभूत समझौते किए थे। उक्त वित्तीय सहायता लेते समय, आपने स्पष्ट रूप से यह वचन दिया है कि आप ऊपर बताए गए समझौतों की शर्तों और नियमों के अनुसार ऋण की राशि चुकाएंगे।

यह कि श्री अभिमन्यु धवन पुत्र संजीव धवन और श्रीमती इंदु धवन पत्नी संजीव धवन - जिन्हें आगे 'गारंटर' कहा जाएगा - ने कर्जदार द्वारा ली गई क्रेडिट सुविधाओं (जिनकी सीमा ब्याज सहित 1300.64 लाख रुपये तक है) के लिए प्रतिभूत लेनदार को देय सभी राशियों के भुगतान और सभी दायित्वों व देनदारियों को पूरा करने की गारंटी दी है।

आपने (अनुसूची बी में उल्लिखित व्यक्ति ने) प्रतिभूत संपत्तियों के विरुद्ध भी समझौते किए हैं, जिनका विवरण नीचे अनुसूची बी में दिया गया है। हालांकि, अप्रैल 2026 से इस वित्तीय सहायता/क्रेडिट सुविधा का संचालन और कामकाज अनियमित हो गया है। प्रतिभूत सम्पत्ति के हिसाब-किताब से पता चलता है कि 27.07.2026 तक प्रतिभूत लेनदार के प्रति कर्जदार की देनदारी **रु. 12,60,90,539.46 (रुपये बारह करोड़ साठ लाख नब्बे हजार पांच सो उनतालीस और छियालीस पैसे मात्र)** है; इसकी पूरी जानकारी और भविष्य की ब्याज दर नीचे 'अनुसूची सी' में दी गई है।

साथ ही, यह भी बताया जाता है कि कर्जदार/गारंटर तय समय के भीतर प्रतिभूत लेनदार का बकाया चुकाने के लिए ऊपर बताए गए समझौते की शर्तों का पालन करने में नाकाम रहे हैं और बकाया चुकाने में टाल-मटोल करते रहे हैं। ऊपर बताई गई वित्तीय सहायता / क्रेडिट सुविधा का कामकाज रुक जाने और मूल कर्ज / किस्त और उस पर लगने वाले ब्याज को चुकाने में चूक होने के कारण, प्रतिभूत लेनदार को भारतीय रिजर्व बैंक के सम्पत्ति वर्गीकरण से जुड़े निर्देशों/दिशा-निर्देशों के अनुसार 20/07/2026 को इस कर्ज को नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) के तौर पर वर्गीकृत करना पड़ा।

प्रतिभूत लेनदार इस नोटिस के जरिए आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाता है कि कर्जदार ने उल्लिखित बकाया / देनदारियों को चुकाने में चूक की है और उनका भुगतान नहीं किया है। इसलिए, इस अधिनियम की धारा 13(2) के तहत यह नोटिस जारी करके आपसे मांग की जाती है कि आप इस नोटिस के मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर प्रतिभूत लेनदार को कर्जदार की उन देनदारियों का पूरा भुगतान करें जो नीचे 'अनुसूची सी' में बताई गई हैं। इसके अलावा, आपको यह भी बताया जाता है कि आप 12.00% भावी ब्याज और साथ ही प्रतिभूत लेनदार द्वारा अपना बकाया वसूलने की कार्यवाही से जुड़े सभी खर्च, चार्ज और अन्य संबंधित खर्चों का भुगतान करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

कृपया इस बात पर ध्यान दें कि यदि आप अधिनियम की धारा 13(2) के तहत इस नोटिस के अनुसार, **रु. 12,60,90,539.46 (रुपये बारह करोड़ साठ लाख नब्बे हजार पांच सो उनतालीस और छियालीस पैसे मात्र)** की राशि, साथ ही आगे का ब्याज और अन्य संबंधित खर्चों व लागतों का भुगतान प्रतिभूत लेनदार को करने में विफल रहते हैं, तो प्रतिभूत लेनदार धारा 13 की उप-धारा (4)(ए) और (बी) के तहत बताए गए सभी या किसी भी अधिकार का इस्तेमाल करेगा। इस मामले की गंभीरता को बताने के लिए उनका विवरण नीचे दिया गया है:

13(4)-यदि कर्जदार/गारंटर उप-धारा (2) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर देयता का पूर्ण रूप से निर्वहन करने में विफल रहता है, तो प्रतिभूत लेनदार अपने प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिए निम्नलिखित उपायों में से एक या उससे अधिक उपायों का सहारा ले सकता है, अर्थात्;

(क) प्रतिभूत संपत्ति की वसूली के लिए पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के अधिकार सहित कर्जदार/गारंटर की प्रतिभूत संपत्ति का कब्जा लेना;

(ख) प्रतिभूत संपत्ति की वसूली के लिए पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के अधिकार सहित कर्जदार के व्यवसाय का प्रबंधन अपने हाथ में लेना;

बशर्ते कि पट्टे, समनुदेशन या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के अधिकार का प्रयोग केवल वहीं किया जाएगा जहां कर्जदार के व्यवसाय का बड़ा हिस्सा ऋण के लिए प्रतिभूत के रूप में रखा गया हो;

बशर्ते यह भी कि जहां पूरे व्यवसाय या व्यवसाय के हिस्से का प्रबंधन अलग किया जा सकता है, प्रतिभूत लेनदार कर्जदार के ऐसे व्यवसाय का प्रबंधन अपने हाथ में ले लेगा जो ऋण के लिए प्रतिभूति; तथा कथित अधिनियम के अन्य प्रयोज्य प्रावधानों के तहत से संबंधित है;

प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है।

आपको यह भी नोटिस दिया जाता है कि धारा 13(13) के अनुसार कर्जदार/गारंटर प्रतिभूत लेनदार की लिखित सहमति प्राप्त किए बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा अनुसूची बी में वर्णित उक्त प्रतिभूत संपत्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा। यह आगे आपके ध्यान में लाया जाता है कि इस वैधानिक निषेधाज्ञा/बाध्यता का कोई भी उल्लंघन, जैसा कि उक्त अधिनियम के तहत प्रदान किया गया है, एक अपराध है और यदि किसी कारण से, प्रतिभूत परिसंपत्तियां सामान्य व्यवसाय के दौरान बेची या पट्टे पर दी जाती हैं, तो बिक्री से प्राप्त आय या प्राप्त आय प्रतिभूत लेनदार के पास जमा की जाएगी। इस संबंध में आपको ऐसी प्राप्ति/आय का उचित लेखा-जोखा प्रस्तुत करना होगा।

मांग का यह नोटिस पूर्वाग्रह के बिना है और किसी भी अन्य अधिकारों या उपायों की छूट के रूप में नहीं माना जाएगा, जो प्रतिभूत लेनदार के पास आपके द्वारा देय और बकाया राशि के लिए आगे की मांग सहित हो सकता है।

यह अधिनियम और/या लागू किसी अन्य कानून के तहत प्रतिभूत लेनदार के लिए उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव से रहित है।

कृपया इस नोटिस के तहत मांग का अनुपालन करें और सभी अप्रिय घटनाओं से बचें। गैर-अनुपालन के मामले में, आपको सभी लागतों और परिणामों के लिए उत्तरदायी ठहराते हुए, आगे आवश्यक कार्रवाई का सहारा लिया जाएगा।

धन्यवाद,

अनुसूची-ए

[कर्जदार द्वारा ग्रहण की गयी साख सुविधाओं का विवरण]

क्र.सं.	ऋण संख्या	ऋण/सीमा की प्रकृति	स्वीकृति की तिथि	राशि (रु. में)
1.	125006836150	ओडी/ओसीसी	27.09.2024	12,00,00,000/-
2.	170014213246	एमएसएमई सावधि ऋण	27.09.2024	1,00,64,000/-

अनुसूची-बी

(प्रतिभूत आस्तियों का विवरण)

क्र.सं.	चल सम्पत्ति	स्वामित्व धारक का नाम
1.	स्टॉक और बुक डेट्स का दृष्टिबंधक सरसाई विवरण: एसेट आईडीः 200087797188 प्रतिभूति हित आईडीः 400085854906	मैसर्स गुडवि